# प्रेस नोट 10/07/2021

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों तथा संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों के विरुद्ध चलाये जा रहे चेकिंग अभियान के क्रम में–

**एक शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का मवेशी (बकरा), चाकू व चोरी करने में प्रयुक्त चारपहिया वाहन बरामद–**

थाना दक्षिणटोला पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब जरिये मुखबिर की सूचना पर दिनांक 09.07.2021 को मतलूपुर तिराहे के पास से, आजमगढ़ की तरफ से आ रही एक स्विफ्ट डिजायर (यूपी 64 एस 9393) चारपहिया वाहन को रोकने का इशारा किया गया तो अचानक गाड़ी मोड़कर भागने का प्रयास किया इस दौरान मौजूद पुलिस बल द्वारा गाड़ी को रोककर चेक किया गया तो एक अदद बकरा तथा वाहन चालक के पास से एक अदद नाजायज चाकू बरामद हुयी। इस दौरान गाड़ी में एक अन्य व्यक्ति भागने में सफल रहा।

पूछताछ के दौरान उक्त व्यक्ति द्वारा अपना नाम आसिफ पुत्र अमीर हसन निवासी मदनपुरा थाना दक्षिणटोला बताया गया तथा कड़ाई से पूछताछ के दौरान बताया गया कि यह बकरा मैने जनपद आजमगढ़ थाना गम्भीरपुर के लहवरिया गांव से चुराया है, इसी को बेचने जा रहे थे कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया। इसके अलावा अन्य कई जगहों जिसमें जनपद आजमगढ़, मऊ व बलिया से बकरे चोरी करने की बात स्वीकार की गई तथा यह भी बताया गया कि हम लोग बकरा चुराकर इसी गाड़ी में लादकर लेकर चले जाते हैं। इस सम्बन्ध में उक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 112,113/21 धारा 379,411 भादवि व 4/25 आयुद्ध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

**एक शातिर अभियुक्त (साइबर ठग) गिरफ्तार, कब्जे से एक एटीएम स्कैनर, 03 रीराइटेबल एटीएम कार्ड बरामद–**

थाना दक्षिणटोला पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब जरिये मुखबिर की सूचना पर दिनांक 09.07.2021 को जरिये मुखबिर की सूचना पर कि, एक व्यक्ति जो एटीएम क्लोन कर बैक खाते से रुपये उड़ाने का काम करता है वह मिर्जाहादीपुर एचडीएफसी एटीएम से निकलकर मतलूपुर की तरफ जा रहा है, इस सूचना पर मतलूपुर तिराहे के पास से चेकिंग के दौरान एक पल्सर (यूपी 50 एए 4350) पर सवार व्यक्ति को रोकने का इशारा किया गया तो भागने का प्रयास किया जिसको घेरकर पकड़ लिया गया तथा उसके कब्जे से एक एटीएम स्कैनर, 03 रीराइटेबल एटीएम कार्ड बरामद किया गया पूछताछ में अपना नाम राजीव यादव पुत्र हंसराज यादव निवासी जोगरी थाना मुहम्मदाबाद मऊ बताया गया तथा कड़ाई से पूछताछ के दौरान बताया गया कि इस एटीएम स्कैनर की मदद से किसी भी व्यक्ति से धोखाधड़ी कर उसके एटीएम कार्ड का कापी कर लेते है तथा कम्प्यूटर की मदद से डाटा ट्रान्सफर कर पुनः एटीएम का क्लोन बनाकर रुपये निकाल लेते हैं। साथ ही साथ यह भी बताया गया कि जनपद मऊ के थाना कोतवाली, घोसी, कोपागंज, मधुबन, मुहम्मदाबाद व जनपद आजमगढ़ के थाना मुबारकपुर व जीयनपुर सहित कई थानों में धोखाधड़ी के कई अभियोग दर्ज हैं। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 115/21 धारा 419,420,467,468,471 भादवि व 66सी आईटी एक्ट पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

**<u>60 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब व मिलावट सामग्री के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार–</u>**

थाना मधुबन पुलिस द्वारा दिनांक 09.07.21 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर चट्टी मूसा डोही नदी के किनारे से श्रवण साहनी पुत्र शिवलोचन निवासी चट्टी मूसा डोही थाना मधुबन के कब्जे से 60 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब व मिलावट सामग्री (04 किग्रा नमक, 01 किग्रा फिटकिरी, 01 किग्रा नौसादर व 48 किग्रा यूरिया) बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 359/21 धारा 272,273 भादवि व 60,60(2) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।